

डिक्री व मुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया सहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 321/2024

मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति बैरागी (स्वामी) साकिन नगराना तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी



- बनाम्  
पि0 लेखराम जाति समस्त बैरागी (स्वामी) साकिन  
नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- ओमप्रकाश }  
लालचंद }  
3. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा संगरिया  
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नगराना  
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।  
6. कमल पुत्र भूपेन्द्र कुमार } जाति ब्राह्मण साकिन नगराना  
7. स्नेहा पुत्री पदम कुमार } तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)  
8. रमेश कुमार }  
9. कृष्णलाल } पि0 लेखराम जाति बैरागी साकिन नगराना तहसील  
10. शिवप्रताप } संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)  
11. जसकरण सिंह } पि0 प्रीतम सिंह जाति जटसिख साकिन लीलावाली  
12. बलदेव सिंह } तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 16.1.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) वास्ते इनफिसाल कर्त्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री प्रमोद डेलू मिन जामिन मुदई व श्री रविन्द्र भोबिया वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि :-

1. वादी मनोज कुमार के हक हिस्सा की कृषि भूमि :-

- (क) चक नं. 1 एल.एल.डब्ल्यू. खाता सं. 6/5 जं.सं. 2071-74 प.नं. 163/212 मु.नं. 28 कि.नं. 4/1/0.228 5/1/0.151, 5/3/0.026, 5/4/0.051, 6/1/0.203, 6/2/0.025, 6/3/0.025, 7/0.253, 14/1/0.177, 14/2/0.025, 14/3/0.051, 15/1/0.177, 16/1/0.025, 17/2/0.025, 23/2/0.025, प.नं. 164/212 मु.नं. 29 कि.नं. 1/2/0.088, 2/1/0.012, 10/0.076 है. कृषि भूमि।  
प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः ओमप्रकाश, लालचंद पि0 लेखराम के हक हिस्सा की


कृषि भूमि :-



सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

(ख) चक नं. 1 एल.एल.डब्ल्यू. खाता सं. 6/5 में प.नं. 164/210 मु.नं. 4 कि.नं. 4/0.253 प्रतिवादी सं. 1 चक नं. 1 एल.एल.डब्ल्यू. खाता सं. 6/5 में प.नं. 164/210 मु.नं. 4 कि.नं. 3/0.253, 8/1/0.126, प्रतिवादी सं. 2 के हक व हिस्सा में दर्ज किया जावे अर्थात् चक 1 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं. 6/5 में 0.379 हैक. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश के हिस्सा में कम कर प्रतिवादी सं. 2 लालचंद के हक व हिस्सा में जोड़ी जावे। अर्थात् चक 1 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं. 6/5 में 0.379 हैक. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावे। व चक नं. 6 एन. जी.आर. खाता सं. 31/29 में कुल 0.759 है. कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा चक नं. 14 एस.बी.एन. के खाता सं. 25/13 में कुल 1.012 है. कृषि भूमि में 1/5 हिस्सा ओमप्रकाश का है व इसी खाता में प्रतिवादी सं. 2 लालचंद का 1/5 हिस्सा व चक नं. 6 एन. जी.आर. में भी प्रतिवादी सं. 2 लालचंद का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश को देना चाहता है। अर्थात् चक 6 एन.जी.आर. के खाता सं. 31/29 एवं चक 14 एस.बी.एन. के खाता सं. 25/13 से प्रतिवादी सं. 2 का नाम विलोपित कर प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश के हक व हिस्सा में जोड़ा जाकर चक 6 एन.जी.आर. में ओमप्रकाश का हिस्सा 2/5 व चक 14 एस.बी.एन. के खाता सं. 25/13 में प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 2/5 किया जावे। चक नं. 14 एस.बी.एन. के खाता सं. 25/13 में भी प्रतिवादी सं. 2 लालचंद अपना 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज...~~...~~निल...~~...~~मुब्लिक...~~...~~निल...~~...~~बाबत...~~...~~निल...~~...~~खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...~~...~~को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.1.2025 को जारी किया गया।



( जय कौशिक )

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधीक्षक संगरिया  
संगरिया